रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939
No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुड़गांव, 12 जून, 2017

सं. जेईआरसी-3/2009.—जहां तक गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जिसे बाद में "आयोग" कहा गया है) ने गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र) विनियम, 2009 (इसके बाद से "मूल विनियम, 2009" कहा गया है) को अधिसूचित किया है;

और जहां तक आयोग ने गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र) प्रथम संशोधन विनियम, 2013 को अधिसूचित किया है।

और जहां तक आयोग ने पाया कि विनियमों की शर्तों और परिभाषाओं में कुछ स्पष्टता लाने के लिए विद्युत के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के अनुरूप मूल विनियम, 2009 और प्रथम संशोधन विनियम 2013 में संशोधन करने की आवश्यकता अनिवार्य है।

इसलिए अब विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42 (6) और धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने मूल विनियम, 2009 और प्रथम संशोधन विनियम, 2013 में भी संशोधन करने का प्रस्ताव किया है तथा विद्युत (पिछले प्रकाशन की प्रक्रिया) नियम, 2005 की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, संशोधन विनियमों के प्रारूप को सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि

संशोधन विनियमों के उक्त प्रारूप, जिस पर कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त अवधि के अंदर प्राप्त होंगे, पर अधिसूचना की तारीख से तीस (30) दिनों की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त मसौदा विनियमों का पाठ आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://www.jercuts.gov.in पर भी उपलब्ध है।

इस संबंध में आपत्ति या सुझाव, गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए सचिव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, वाणिज्य निकुंज, दूसरा तल, उद्योग विहार, चरण-V, गुड़गांव-122016 (हरियाणा) को संबोधित किए जाने चाहिए।

विनियमों का प्रारूप

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र) तृतीय संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(2) मूल विनियम, 2009 के विनियम 3(4) में संशोधन और प्रथम संशोधन विनियम, 2013 - विनियम 3(4) को निम्नानुसार बदला जाएगा:-

आयोग द्वारा नियुक्त लोकपाल विधि, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, वित्त, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लोक प्रशासन के किसी भी क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, जो विशेषकर विधुत क्षेत्र में सत्यनिष्ठ, विख्यात और अच्छी साख रखता हो, जिसने भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष या भारत सरकार/ राज्य सरकार में अपर जिला न्यायाधीश या मुख्य इंजीनियर या समकक्ष या अनुसूची 'क' केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) में महाप्रबंधक या समकक्ष या किसी भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के उपक्रम में समकक्ष के रूप में या गैर-सरकारी संगठन, जिसका आयोग की राय में अनुभव का स्तर उपर्युक्त के समकक्ष माना जा सकता है, में कार्य किया हो। उपर्युक्त के बावजूद, आयोग अपने किसी भी अधिकारी को लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) मूल विनियम, 2009 के विनियमन 9(3) के बाद निम्नलिखित नए विनियम जोड़े जाएंगे

"3 (क) – छूट देने का अधिकार

आयोग, जन हित में इन विनियमों के किसी प्रावधान में छूट दे सकता है जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए।

आयोग के आदेशानुसार,

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./155/17]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 12th June, 2017

No. JERC-3/2009.—WHEREAS the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (hereinafter referred to as "the Commission") notified the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations, 2009");

AND WHEREAS the Commission notified the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories (Appointment and Functioning of Ombudsman) First Amendment Regulations, 2013.

AND WHEREAS the Commission observed that there is an imperative need to amend the Principal Regulations, 2009 and also the First Amendment Regulations, 2013 in line with the changes in the electricity sector to bring in some clarity in the terms and definition of the Regulations.

NOW THEREFORE in exercise of powers conferred under Section 42 (6) and Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Commission proposes to amend the Principal Regulations, 2009 and also the First Amendment Regulations, 2013 and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of notification together with any objections or suggestions which may, within the aforesaid period, be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft regulations is also available on the website of the Commission i.e. http://www.jercuts.gov.in.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories, Vanijya Nikunj, 2nd Floor, Udyog Vihar, Phase – V, Gurgaon – 122016 (Haryana).

DRAFT REGULATIONS

1. **SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT**
   (1) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Appointment and Functioning of Ombudsman) Third Amendment Regulations, 2017.
   (2) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in official Gazette.

(2) **Amendment of Regulation 3 (4) of Principal Regulations, 2009 and First Amendment of Regulations, 2013- Regulation 3 (4) shall be replaced as under:-**

The Ombudsman appointed by the Commission shall be a person of integrity, repute and standing preferably in the electricity sector having experience in any of the areas of Law, Management, Engineering, Finance, Economics, Commerce, Public Administration who has served at the level of Joint Secretary to the Government of India or equivalent or as Additional District Judge or Chief Engineer in the Government of India / State Government or equivalent or General Manager in Schedule 'A' Central Public Sector Undertaking (CPSU) or equivalent in any public or private sector undertaking or a non-governmental organization whose level of experience in the opinion of the Commission can be treated as comparable to the aforesaid. Notwithstanding anything above, the Commission may designate any of its Officers to act as the Ombudsman.

(3) **The following new Regulation shall be inserted after Regulation 9(3) of the Principal Regulations, 2009**

"3(a) – Power to Relax

The Commission may, in public interest and for the reasons to be recorded in writing relax any provision of these Regulations.

By Order of the Commission,

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./155/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.25 17:46:32 +05'30'